



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022


अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या-26 (लो0सू0अ0)/2022-23

श्री श्रीनिवास तिवारी, पिता-स्व. वासुदेव तिवारी, ग्रा.+पो.-बेलहर, जिला-बांका-813202

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
22.05.2023	<p>श्री श्रीनिवास तिवारी, पिता-स्व. वासुदेव तिवारी, ग्रा.+पो.-बेलहर, जिला-बांका-813202 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-15.05.2023 इस कार्यालय में दिनांक-19.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-71C 083417 दिनांक-25.03.2023 संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत कराये।</p> <p>अपीलकर्ता श्री श्रीनिवास तिवारी ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-03.04.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन मुख्य कैबिनेट सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना प्रदान नहीं किये जाने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-03.04.2023 की प्रति भी संलग्न की है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विभाग के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>अपीलकर्ता श्री श्रीनिवास तिवारी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022


अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या-27 (लो0सू0अ0)/2022-23

श्री श्रीनिवास तिवारी, पिता-स्व. वासुदेव तिवारी, ग्रा.+पो.-बेलहर, जिला-बांका-813202

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
22.05.2023	<p>श्री श्रीनिवास तिवारी, पिता-स्व. वासुदेव तिवारी, ग्रा.+पो.-बेलहर, जिला-बांका-813202 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-15.05.2023 इस कार्यालय में दिनांक-19.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-71C 083421 दिनांक-25.03.2023 संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत कराये।</p> <p>अपीलकर्ता श्री श्रीनिवास तिवारी ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-03.04.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन मुख्य केबिनेट सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना प्रदान नहीं किये जाने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक- 03.04.2023 की प्रति भी संलग्न की है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विभाग के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>अपीलकर्ता श्री श्रीनिवास तिवारी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>